रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1982/भाद्र 13, 1904

No. 393] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1982/BHADRA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

### (औद्योगिक विकास विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1982

**का०आ० 648/(अ)/18 कक/आई०डी०आर०ए०/82:**—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 1:4(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/79 तारीख 1: मार्च, 1979 द्वारा यथा उपांतरित आदेश सं० का०आ० 529(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/74, तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, बंद और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे अब सचिव औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग पश्चिम बंगाल सरकार कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर, पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तारीख 6 सितम्बर, 1975 से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपयुक्त पांच वर्ष के समाप्त होने के बाद भी प्रभावी बना रहना चाहिये और उसमें 5 सितम्बर, 1982 तक की जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिये इसे जारी रखने के लिये समय-समय पर निदेश जारी किये थे [देखिए भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग सं० का०आ० 512(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 4 सितम्बर, 1979, का०आ० 749 (अ)/18कक/आई०डी.आर०ए०/80, तारीख 5 सितम्बर, 1980 और 684(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/1981 तथा का०आ० 125(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/82 तारीख 5 मार्च, 1982];

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा छह मास की और अवधि के लिये जारी रखा जाये;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश, 5 मार्च, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है यह छह मास की और अवधि के लिये प्रभावी रहेगा।

[सं० 2/14/80-पी०यू०सी०]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 4th September, 1982

ORDER

**S.O. 649(E)/18FA/18AA/IDRA/82.**—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)/18FA/18AA|IDRA|73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973.

And whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 146(E)/18FA/18AA|IDRA|78, dated the 3rd March, 1978, No. S.O. 145(E)/18FA/18AA|IDRA|80, dated the 5th March, 1980, No. S.O. 144(E)/81, dated the 4th March, 1981, No. S.O. 685(E)/18FA/18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981, and S.O. 123(E)|18FA|18AA/IDRA/82 dated the 4th March, 1982, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for further periods upto and inclusive of 4th September, 1982.

And whereas the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year.

And whereas the said High Court, by its Order dated the 2nd September, 1982, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year.

And, now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year commencing from the 5th September, 1982.

[F. No. 2(1)/80-Cus.]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982